[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 22/2018–केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 14 मई, 2018

सा.का.नि.____(अ).–केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1** में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किंतु 27 दिसंबर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी देने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का, अधित्यजन करती है :

परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 10 मई, 2018 को या उसके पूर्व **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1** में घोषणा और 31 मई, 2018 को या उसके पूर्व, उन प्रत्येक महीनों के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी फाइल करेंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017–जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार